

**कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल**  
**कालोनी प्रकोष्ठ, (कोलार)**

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

दिनांक 24.06.2020

रजिस्ट्रीकरण क्र. 27.....

मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 / मध्यप्रदेश नगर पालिका, अधिनियम 1961 और उसके अन्तर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तों) नियम 1998 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अधधीन:-

श्री / श्रीमती / अध्यक्ष / – मेसर्स असनानी लाइफस्पेसेस प्रा.लि.

निवासी – 602, छटवा तल, कॉर्पोरेट जोन, आशिमा मॉल, होशंगाबाद रोड  
भोपाल

ग्राम / वार्ड –

नगर – भोपाल

तहसील – कोलार

जिला – भोपाल

का एतद् द्वारा कालोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण किया जाता है कि –

- (1) यह पंजीयन नगर पालिक निगम, भोपाल के क्षेत्र तक के लिए है।
- (2) प्रत्येक अतिरिक्त कालोनी स्थापना की सूचना कालोनाईजर को कालोनी स्थापना के पूर्व देनी होगी।
- (3) प्रत्येक कालोनी के लिए विकास अनुमति / विकास कार्यों को प्रारंभ करने की अनुमति अलग से प्राप्त करना होगी।
- (4) रजिस्ट्रीकरण की अवधि जारी दिनांक से पांच वर्ष (दिनांक 24/06/2025 ) तक मान्य रहेगी।

स्थान:- कोलार, भोपाल

दिनांक:- 24.06.2020



टीप:- कालोनी की स्थापना, विकास कार्य कालोनी में भूखण्डों / भवनों का आवंटन करने के करार करने की पात्रता तब ही होगी, जब कालोनी के विकास की अनुमति नियमानुसार प्राप्त कर ली जाती है।

मुख्य नगर निवेशक  
सक्षम प्राधिकारी एवं मुख्य नगर निवेशक  
नगर पालिक निगम, भोपाल